पोंची बयान जोगदीश
10/2/2023

28/3/24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व उसके अधिवक्ता उपस्थित अप्रार्थीगण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बहस अपास्त व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी की ओर से पेश अपील अन्तर्गत धारा 151 CPC स्वीकार किया जाता है तहसीलदार सांगानेर व संबंधित थानाधिकारी को न्यायालय आदेश दिनांक 7/11/2023 की पालना हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है निर्देश दिए जाते हैं पत्रावली में आदेश की पालना हेतु संबंधित थानाधिकारी व TSP सांगानेर की रिपोर्ट जारी पत्रावली मौसल समय दीवार दर्ज रजिस्टर की नकल के बाद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.04.16 12:35:28 IST
Reason: SelfAttested